न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी–संजय शर्मा

अपील संख्या 8 / 2025 तारीख रजू 30.01.2025

महावीर पुत्र रामस्वरूप गूजर निवासी पाली, तहसील खण्डार । --- अपीलार्थी

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार खण्डार। --- रेस्पोडेन्ट

उपस्थिति –

श्री योगेन्द्र गोयल एडवोकेट – अपीलार्थी

पेरोकार राजस्व – रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांक 13.08.2025

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार खण्डार द्वारा मिसल संख्या 185 / 2020 मे पारित आदेश दिनांक 21.09.2020 के विरूद्ध प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अपीलार्थी को पटवार मण्डल पाली के राजस्व ग्राम पाली के आराजी खसरां नम्बर 315 रकबा 0.4 बीघा किस्म चरागाह पर संवत 2077 मे जिन्स मकान व बाडा कर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने का कर्ता मानकर अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने, शास्ति आरोपित करने के साथ साथ पश्चातवर्ती अतिचारी मानते हुए एक माह (30) दिवस के सिविल साधारण कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया हैं।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी जरिये सम्मन की गई तथा अपीलाधीन निर्णय से संबंधित मूल पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय पेरोकार उपस्थित आये तथा अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन आदेश संबंधी पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यो की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस मे कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि व तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। आराजी ख0नं0 315 रकबा 0.4 बीघा किस्म चरागाह पर प्रार्थी अपीलान्ट का बाडा बना हुआ है जिसमें आबादी बसी हुई है जिसमें अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर तीस दिवस का सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है जबकि अपीलान्ट का आबादी बसी हुई है जिसमें बाडा बना हुआ है। प्रार्थी का कोई अतिक्रमण उक्त आराजी पर नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय करने से पूर्व प्रार्थी अपीलान्ट को सुनवाई व सबूत का कोई अवसर नहीं दिया गया व एक तरफा निर्णय पारित कर अहम भूल की गई जिससे अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी को उक्त निर्णय दिनांक 21.09.2020 की जानकारी नहीं थी दिनांक 19.01.2025 को पुलिस थाना खण्डार का सिपाही प्रार्थी का गिरफ्तारी वारन्ट लेकर गांव में आया था तब प्रार्थी दिनांक 19.01.2025 को गांव में नहीं था तब पुलिस वाले प्रार्थी के घर [illegible] देकर गये तब प्रार्थी ने दिनांक 20.01.2025 को तहसील खण्डार में जाकर मालूम [illegible] और [illegible] दिन शाम को नकल प्राप्त हुई। अन्त मे वकील अपीलान्ट द्वारा अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.09.2020 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.09.16 09:30:30 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए पेरोकार सरकार ने बहस मे कथन किया कि अपीलार्थी को विधिवत नोटिस जारी करने के पश्चात ही अपीलार्थी को सुनवाई सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिये जाने व पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित हो जाने के पश्चात ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जिसमे किसी प्रकार की अनियमितता नही है। पेरोकार ने बहस में यह भी तर्क दिया है कि विवादित भूमि की किस्म चरागाह है जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है तथा मवशियों के चरने के उपयोग में काम आती है यदि अपीलार्थी को सार्वजनिक उपयोग की भूमि से बेदखल नहीं किया गया तो अन्य व्यक्तियों को भी अतिक्रमण करने हेतु बढावा मिलेगा एवं पशुधन सम्पदा को क्षति पहुंचने की पूर्ण संभावना है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाकर अदालत मातहत का निर्णय यथावत रखा जावें।

उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा अपीलाधीन निर्णय की पत्रावली का अवलोकन करने से यह प्रतीत होता है कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरूद्व अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अपीलार्थी को धारा 91 का नोटिस जारी किया गया है जिस पर अपीलाण्ट के पुत्र की तामील हुई है। बाद तामील अपीलान्ट नियत दिनांक को जानबूझ कर अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। अतः अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का समुचित अवसर दिया गया है। जहां तक अतिक्रमित आराजी पर अपीलार्थी के पश्चातवर्ती अतिचारी होने का प्रश्न है इसकी पुष्टि भी पत्रावली पर उपलब्ध विधिक साक्ष्य यथा पटवार हल्का के लिये गये बयानों के आधार पर हो जाती है। चूंकि अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमित की गयी भूमि के संबंध में अपने पक्ष में इस प्रकार का कोई सुदृढ अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया है, जिसके आधार पर विवादित भूमि पर अपीलान्ट का पूर्ववर्ती अतिक्रमण साबित नहीं होता हो। यद्यपि, अपीलान्ट ने महावीर गुर्जर पुत्र रामस्वरूप गुर्जर के नाम का वर्ष 2010 का ग्राम पंचायत पाली का आबादी प्लाट 50 फीट x 50 फीट का पटटा विलेख पत्र पेश किया है। जिससे यह किसी भी प्रकार से साबित नहीं होता है कि विवादित भूमि जिसकी किस्म चरागाह है पर अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण नहीं किया गया हो। ना ही अपीलान्ट द्वारा उक्त विवादित भूमि पर विगत 35 वर्षों से अधिक निवासरत रहने का कोई प्रमाण पेश किया गया है। यहां इस बात को भी नजर–अंदाज नहीं किया जा सकता है कि अतिक्रमित आराजी की किस्म चरागाह है जो मूक पशुओ की चराई मे काम आती है व सार्वजनिक उपयोग की भूमि होने से चरागाह भूमि पर बढते अतिचार को रोकना अत्यन्त आवश्यक है। अदालत मातहत द्वारा पारित किये गये निर्णय मे किसी प्रकार की अनियमितता नजर नही आती है तथा अपील अपीलान्ट खारिज योग्य पायी जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अदालत मातहत का निर्णय दिनांक 21.09.2020 यथावत रखा जाता हैं।

निर्णय आज दिनांक 13.08.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

शर्मा)

अ रक्त ा कलेक्टर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.09.16 09:50:30 IST
Reason: SelfAttested